बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक–01/ए0जी0कोर्ट–09/2014 /कृ०, पटना, दिनांक– 2019

प्रेषक,

ललित मोहन श्रीवास्तव,
सरकार के उप सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)
जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया
जिला कृषि पदाधिकारी, सारण (छपरा)
अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, बिहार शरीफ (नालन्दा)
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरैया (सारण)

अत्यावश्यक

विषय :– **अवमाननावाद संख्या–2570/2015 के न्यायादेश के आलोक में श्री किरणदेव कुमार तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक पाट, बिहार, पूर्णिया सम्प्रति सेवानिवृत्त को कनीय प्रवर कोटि वेतनमान 3000–4500/–(अपुनरीक्षित) में दी गई प्रोन्नति, सभी अनुमान्य लाभ सहित, के संबंध में।**

प्रसंग :– **संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट, बिहार, पूर्णिया के पत्र ज्ञापांक–456 दिनांक–13.12.2018**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है अवमाननावाद संख्या–2570/2015 किरणदेव कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–07.01.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित न्यायादेश में वादी के दावे संबंधी अंतर बकाया राशि का अब तक पूर्ण भुगतान नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। साथ ही पूर्ण भुगतान न होने की स्थिति में दिनांक–11.01.2019 (शुक्रवार) को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष प्रधान सचिव कृषि विभाग की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश है।

उक्त न्यायादेश के आलोक में स्पष्ट निदेश दिया जाता है कि ससमय श्री कुमार की पदस्थापन अवधि एवं पदस्थापन पद के विवरण के अनुसार अपने–अपने संबंधित कार्यालय के द्वारा भुगतान की गई वेतनादि की राशि की विवरणी संयुक्त निदेशक(शष्य), पाट, बिहार, पूर्णिया को उपलब्ध कराएँ ताकि अनुमान्य अंतर राशि का भुगतान संयुक्त निदेशक(शष्य), पाट, बिहार, पूर्णिया के द्वारा किया जा सके। यदि आवश्यक हो तो विशेष दूत/ई–मेल/फैक्स के माध्यम से प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

यह मामला अवमाननावाद से संबंधित है। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु० :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–

(ललित मोहन श्रीवास्तव)
सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Rahul\Letter\Letter-236.docx

ज्ञापांक:–   /कृ०, पटना, दिनांक   2019

प्रतिलिपि :– संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट, बिहार, पूर्णिया को स्पष्ट निदेश दिया जाता है कि विशेष दूत के माध्यम से श्री कुमार के विभिन्न कार्यालय में पदस्थापन अवधि के अनुमान्य अंतर राशि विवरणी प्राप्त कर दिनांक–10.01.2019 (बृहस्पतिवार) तक पूर्ण भुगतान करते हुए भुगतान संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:–   /कृ०, पटना, दिनांक   2019

प्रतिलिपि :– कृषि निदेशक, बिहार, पटना से अनुरोध है कि संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट, बिहार, पूर्णिया के पत्र ज्ञापांक–456 दिनांक–13.12.2018 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में श्री कुमार के वर्ष 2001–2004 तक कृषि निदेशालय, बिहार, पटना में वेतनादि मद में भुगतान की गई राशि की विवरणी संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट, बिहार, पूर्णिया को उपलब्ध कराते हुए अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करने की कृपा की जाय।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:–   /कृ०, पटना, दिनांक   2019

प्रतिलिपि :– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट, बिहार, पूर्णिया के पत्र ज्ञापांक–456 दिनांक–13.12.2018 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में श्री कुमार के वर्ष 2001–2004 तक कृषि निदेशालय, बिहार, पटना में वेतनादि मद में भुगतान की गई राशि की विवरणी संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट, बिहार, पूर्णिया को उपलब्ध कराते हुए अद्योहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 73   /कृ०, पटना, दिनांक 7/01/ 2019

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारियों को अनुलग्नक सहित ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

07/01/19
सरकार के उप सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Rahul\Letter\Letter-236.docx

1435/31.12.18

388.

कार्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट, बिहार, पूर्णियाँ।

पत्र संख्या................................/(शष्य) पाट, पूर्णियाँ, दिनांकः.......................................।

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट,
बिहार, पूर्णियाँ।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)
जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया
जिला कृषि पदाधिकारी, सारण (छपरा)
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, बिहार शरीफ (नालंदा)
प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरैया (सारण)

विषयः— अवमाननावाद संख्या—2570/2015 न्यायादेश के आलोक में श्री किरण देव कुमार, तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक (पाट), बिहार, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवा निवृत को कनीय प्रवर कोटि वेतनमान 3000—4500 (अपुनरीक्षित) में दी गयी प्रोन्नति, सभी अनुमान्य लाभ सहित के संबंध में।

प्रसंगः— प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 3347 दिनांक 10.09.18, निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं 3504 दिनांक 24.09.18, सरकार के उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 3983दिनांक 22.11.2018 एवं श्री किरणदेव कुमार, तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक (पाट) बिहार, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवा निवृत का अभ्यावेदन दिनांक 10.12.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 3347 दिनांक 10.09.18 के द्वारा श्री किरणदेव कुमार, तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक (पाट) बिहार, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवा निवृत को दिनांक 27.10.91 से कनीय प्रवर कोटि वेतनमान 3000—4500 (अपुनरीक्षित) में प्रोन्नति दिये जाने के फलस्वरुप निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं० 3504 दिनांक 24.09.18 के द्वारा सभी अनुमान्य लाभ सहित भुगतान करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को निदेशित किया गया है। उक्त क्रम में महालेखाकार, (ले० एव्रं ह०) बिहार, पटना द्वारा श्री कुमार का उपलब्ध कराये गये वेतन पुर्जा के अनुसार अन्तर बकाया राशि भुगतान हेतु वेतनादि मद में भुगतान की गयी राशि की विवरणी की आवश्यकता है। इस कार्यालय के पत्रांक 428 दिनांक 03.11.2018 एवं पत्रांक 441 दिनांक 26.11.2018 द्वारा श्री कुमार को दिनांक 27.10.91 से दिनांक 06.07.2004 तक पदस्थापित पद एवं पदस्थापन कार्यालय का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उक्त परिपेक्ष्य में श्री कुमार ने दिनांक 11.12.2018 को ईमेल के माध्य से अपने अभ्यावेदन दिनांक 10.12.2018 द्वारा अपने पदस्थापित पद का विवरण उपलब्ध कराया है जो निम्नवत है (छाया प्रति संलग्न) :—

क्रमांक	पदस्थापन अवधि का वर्ष	पदस्थापित पद का विवरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	1990—1993 तक	प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरैया (सारण)	
2	1994—1995 तक	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)	
3	1996—1997 तक	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया	
4	1998—मार्च 1999 तक	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, बिहार शरीफ	
5	1999—2001 तक	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण (छपरा)	
6	2001—2004 तक	कृषि निदेशालय, बिहार, पटना	

कृ० पृ० उ०

प्रधान सचिव, कृषि कोषांग 9178 21 DEC 2018 बिहार

अपर सचिव
कृषि निदेशक कोषांग 21 DEC 2018 पंजी संख्या 6056

सरकार के उप सचिव डायरी नं० 719 तारीख 28/12/18 कृषि विभाग बिहार, पटना

3 ~~7~~

अतः अनुरोध है कि श्री कुमार द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त पदस्थापन अवधि एवं पदस्थापन पद के विवरण के अनुसार अपने–अपने संबंधित कार्यालय के द्वारा भुगतान की गयी वेतनादि की राशि की विवरणी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि अनुमान्य अन्तर राशि की विवरणी तैयार कर अन्तर राशि का भुगतान शीघ्राशीघ्र किया जा सके। विदित हो कि मामला अवमाननावाद से संबंधित है।

इसे अति आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट,
बिहार, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक................../ (शष्य) पाट, पूर्णियाँ दिनांक ....।

प्रतिलिपिः– श्री किरणदेव कुमार, तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक (पाट) बिहार, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवा निवृत पता– ग्राम+पोस्ट– कमरुद्दीनपुर, थाना–बेगुसराय मुफस्सिल जिला–बेगुसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट,
बिहार, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक................../ (शष्य) पाट, पूर्णियाँ दिनांक ....।

प्रतिलिपिः– निदेशक (प्रशासन)–सह– अवर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट,
बिहार, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक................../ (शष्य) पाट, पूर्णियाँ दिनांक ....।

प्रतिलिपिः– कृषि निदेशक, बिहार, पटना की सेवा में सादर में सूचनार्थ सम्प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से श्री कुमार द्वारा उपलब्ध कराये गये पदस्थापन अवधि एवं पदस्थापित पद के अनुसार वर्ष 2001–2004 तक कृषि निदेशालय, बिहार, पटना में उन्हें वेतनादि मद में भुगतान की गयी राशि की विवरणी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट,
बिहार, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक................../ (शष्य) पाट, पूर्णियाँ दिनांक ....।

प्रतिलिपिः– सरकार के उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर में सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट,
बिहार, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक....456..../ (शष्य) पाट, पूर्णियाँ दिनांक ....13.12.18.....................।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर में सूचनार्थ समर्पित।

13.12.2018
संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट,
बिहार, पूर्णियाँ।